

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

आय-कर घोषणा स्कीम, 2016

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, तारीख 02 जून, 2016

का.आ. 1950(अ)—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना सं. 33/2016 तारीख 19 मई, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1831(अ) तारीख 19 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के पृष्ठ 10, पंक्ति 32 में “नियम 4” के स्थान पर “नियम 3(2)” पढ़ें।

[अधिसूचना सं. 44/2016 : फा. सं. 142/8/2016-टीपीएल]

(डा. टी.एस. मपवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार